



Neutral Citation No. – 2026:AHC:167903

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या – 27924 वर्ष 2026

हरदेस राघव

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षीगण

आवेदक के अधिवक्ता

: योगेश कुमार त्रिपाठी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या – 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक द्वारा दाखिल अनुपूरक शपथपत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री योगेश कुमार त्रिपाठी तथा राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री अजय सिंह को सुना गया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन, वाद अपराध संख्या 628 वर्ष 2019, धारा 120बी, 411, 302, 328, 394 आई.पी.सी., थाना बिलारी, जनपद मुरादाबाद में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी व्यक्ति का नाम नहीं था, किंतु विवेचना के दौरान आवेदक के इकबालिया बयान तथा देशी तमंचे की बरामदगी के आधार पर उसे वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया है।
5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि उपर्युक्त साक्ष्य के अतिरिक्त अभिलेख पर आवेदक के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आज तक कथित रूप से बरामद देशी तमंचे को वर्तमान अपराध से जोड़ा नहीं जा सका है।
6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले के अतिरिक्त आवेदक का 22 अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है और इसलिए विवेचना के दौरान पुलिस ने उसे वर्तमान मामले में फंसा दिया।
7. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि पुलिस आवेदक के प्रति अत्यधिक शत्रुतापूर्ण है और अधिकांश मामले चोरी के थे। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि यद्यपि दो मामले धारा 302 आई.पी.सी. के थे, किंतु हत्या के एक मामले में उसे दोषमुक्त कर दिया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि 22 मामलों में से 9 मामलों में आवेदक को दोषमुक्त किया जा चुका है।
8. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अभिलेख पर आवेदक के विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुए केवल उसके आपराधिक इतिहास के आधार पर आवेदक के जमानत आवेदन को निरस्त करना उचित नहीं है।
9. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में आवेदक दिनांक 13.01.2020 से जेल में निरुद्ध है, अर्थात् पिछले साढ़े छह वर्ष से अधिक समय से, और आज तक मामले का विचारण समाप्त नहीं हो सका है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



10. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि आवेदक ने किसी भी प्रकार से विचारण में विलंब किया हो, अतः प्रथम दृष्टया यह परिलक्षित होता है कि आवेदक के शीघ्र विचारण के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है।
11. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अतः मामले के उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।
12. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि आवेदक एक अभ्यस्त अपराधी है, जिसका 22 मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसमें हत्या के दो मामले भी शामिल हैं, किंतु वह इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि हत्या के एक मामले सहित नौ मामलों में आवेदक को दोषमुक्त किया जा चुका है और कई मामले चोरी के थे।
13. विद्वान ए.जी.ए. आगे इस तथ्य का भी खंडन नहीं कर सके कि वर्तमान मामले में आवेदक को विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा दर्ज किए गए इकबालिया बयान तथा देशी तमंचे की बरामदगी के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है और आज तक कथित रूप से बरामद देशी तमंचे को वर्तमान अपराध से जोड़ा नहीं जा सका है।
14. विद्वान ए.जी.ए. आगे इस तथ्य का भी खंडन नहीं कर सके कि वर्तमान मामले में आवेदक दिनांक 13.01.2020 से जेल में निरुद्ध है, अर्थात् पिछले साढ़े छह वर्ष से अधिक समय से, और ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि उसने किसी भी प्रकार से विचारण में विलंब किया हो।
15. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



16. यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और वर्तमान मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई थी, किंतु इससे परिलक्षित होता है कि विवेचना के दौरान आवेदक के इकबालिया बयान तथा देशी तमंचे की बरामदगी के आधार पर उसे वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया है। इससे यह भी परिलक्षित होता है कि उपर्युक्त साक्ष्य के अतिरिक्त अभिलेख पर आवेदक के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य नहीं है।

17. आगे, अभिलेख से यह भी परिलक्षित होता है कि आज तक कथित रूप से बरामद देशी तमंचे को वर्तमान अपराध से जोड़ा नहीं जा सका है।

18. आगे, यद्यपि वर्तमान मामले के अतिरिक्त आवेदक का 22 मामलों का आपराधिक इतिहास है, किंतु उसके आपराधिक इतिहास को स्पष्ट किया गया है और धारा 302 आई.पी.सी. के एक मामले सहित नौ मामलों में उसे दोषमुक्त किया जा चुका है।

19. आगे, वर्तमान मामले तथा धारा 302 आई.पी.सी. के उस एक मामले के अतिरिक्त, जिसमें उसे दोषमुक्त किया जा चुका है, आवेदक का एक अन्य हत्या के मामले का भी आपराधिक इतिहास है, किंतु इससे यह भी परिलक्षित होता है कि अधिकांश मामले चोरी के थे। आवेदक के आपराधिक इतिहास को ध्यान में रखते हुए आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत इस तर्क को नकारा नहीं जा सकता कि केवल पूर्व आपराधिक इतिहास के कारण, बिना किसी ठोस साक्ष्य के, विवेचना के दौरान उसे वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया है।

20. आगे, विधि सुव्यवस्थित है कि यदि अन्यथा जमानत का मामला बनता है, तो सामान्यतः केवल आपराधिक इतिहास के आधार पर किसी अभियुक्त के जमानत आवेदन को रोका नहीं जाना चाहिए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



21. आगे, वर्तमान मामले में आवेदक दिनांक 13.01.2020 से जेल में निरुद्ध है, अर्थात् पिछले साढ़े छह वर्ष से अधिक समय से, और आज तक मामले का विचारण समाप्त नहीं हो सका है। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि आवेदक विचारण में विलंब कर रहा है।

22. विधि सुव्यवस्थित है कि शीघ्र विचारण का अधिकार अभियुक्त का मौलिक अधिकार है और इसके उल्लंघन की स्थिति में, गंभीर मामलों में भी, उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है। आवेदक के साढ़े छह वर्ष से अधिक के दीर्घकालिक कारावास को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता कि शीघ्र विचारण के उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है।

23. माननीय उच्चतम न्यायालय ने साहिल मनोज मचारे बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2026 एससीसी ऑनलाइन एससी 810 के मामले में, धारा 302 आई.पी.सी. के अंतर्गत अपराध से संबंधित मामले में चार वर्ष से जेल में निरुद्ध अभियुक्त की जमानत के मामले पर विचार करते हुए, पैराग्राफ संख्या 6 में निम्नानुसार अवलोकन किया है :-

“6. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि याचिकाकर्ता पर हत्या के अपराध का आरोप है, किंतु हमने बार-बार कहा है कि अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो, यदि शीघ्र विचारण के अधिकार का उल्लंघन होता है, तो न्यायालय को जमानत की प्रार्थना पर उचित रूप से विचार करना चाहिए।”

24. माननीय उच्चतम न्यायालय ने अयूब खान बनाम राजस्थान राज्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 3763 के मामले में पैराग्राफ-10 में भी निम्नानुसार अवलोकन किया है :-

“10. अभियुक्त के पूर्ववृत्त की उपस्थिति उसके द्वारा की गई जमानत की प्रार्थना पर निर्णय लेने के लिए कई विचारणीय कारकों में से केवल एक है। किसी दिए गए मामले में, यदि अभियुक्त प्रथम दृष्टया एक मजबूत मामला बनाता है, तो तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा कारावास की अवधि पर निर्भर करते हुए, पूर्ववृत्त की उपस्थिति जमानत

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



से इनकार करने का आधार नहीं हो सकती है। ऐसा मामला हो सकता है, जिसमें न्यायालय केवल लंबे समय तक कारावास के आधार पर जमानत प्रदान कर सकता है। ऐसे मामले में पूर्ववृत्त की उपस्थिति प्रासंगिक नहीं हो सकती है। किसी दिए गए मामले में न्यायालय डिफॉल्ट जमानत प्रदान कर सकता है। पुनः, ऐसे मामले में अभियुक्त का पूर्ववृत्त अप्रासंगिक है। अतः, विशिष्ट तथ्यों के आधार पर, अभियुक्त के पूर्ववृत्त के अस्तित्व के बावजूद न्यायालय जमानत प्रदान कर सकता है..... ”

25. अतः, ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरे विचार में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

26. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

27. आवेदक-**हरदेस राघव** को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख किया जा सके अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं समाज-विरोधी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

28. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



29. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण के संबंध में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

11 अगस्त, 2026

ए.के. पांडेय

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”